आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

Speed Post/email

F. No. 7-3/2012(AMPC) **9th April, 2026**

The Principal Secretary
Deptt. Of Higher Education
Government of West Bangal,
6th Floor Bikash bawan, Salt Lake,
Vidhan Nagar Sector-2,
Kolkata 700091

Subject: Request to alert the students regarding verification of Higher Educational Institutions (HEIs) to avoid admission in the Fake Universities-reg.

Respected Madam/Sir,

In continuation to this office letter of even number dated 30 June 2025 on the subject cited above (copy enclosed), it is informed that the University Grants Commission (UGC) publishes *Public Notice every year* related to self- styled universities/educational Institutions and regularly updates the list of fake universities/unrecognized institutions on its official website. This initiative is aimed at creating awareness among students, parents, and other stakeholders, advising them not to seek admission in such self-styled universities/educational Institutions, as doing so may seriously jeopardize their academic and professional future.

As the admission process for the Academic Session 2026-2027 is currently underway, it has been observed that a considerable number of students, particularly at school level, continue to fall victim to misleading claims made by self-styled self-styled universities/educational Institutions. In this regard, early-stage awareness and preventive measures are crucial to safeguarding students' interests.

In this context, the UGC seeks the valuable support of the Departments of Higher & Technical Education of all States/ UTs and request you to issue necessary instructions to all education Boards and schools under your jurisdiction to undertake the following actions:

1. Inform and counsel students of classes X and XII, along with their parents/guardians, about the risks associated with self- styled universities/educational Institutions.
2. Advise students to verify the recognition status of Higher Educational Institutions (HEIs) from the official UGC website, www.ugc.gov.in by visiting the "HEIs" tab in the main menu of the UGC website.
3. Display the UGC Public Notice dated 18th March, 2025 prominently on school notice boards and disseminate it through school websites, circulars, and parent- teacher meetings.

In this regard, UGC has made a short video to protect students from falling into the trap of self-styled educational institutions/universities. The link for the same is as under:

https://drive.google.com/drive/folders/13_IbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive_link

Your kind cooperation is solicited for the wider dissemination of the above to all the HEI's, School Boards and also on Social Medica Platforms to save the future of the students.

With regards.

Yours Sincerely,

(मनिष जोशी)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष (Ph.): 011-23236288/23239337 | सम्पर्क सूत्र (ई-मेल) (E-mail): secy.ugc@nic.in

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission

मि.सं. 7-3/2012(ए.म.पी.सी)

19 चैत्र, 1948 /09 अप्रैल, 2026

मुख्य सचिव
(उच्च शिक्षा),पश्चिम बंगाल सरकार
विकाश भवन, 6वीं मंजिल
साल्ट लेक, सेक्टर-2
कोलकाता - 700091

विषय: फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से बचाव हेतु उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) की सत्यता की जाँच संबंधी परामर्श विद्यार्थियों तक प्रसारित करने के संबंध में।

आदरणीय महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के सम संख्यक पत्र दिनांक 30 जून 2025 के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) प्रत्येक वर्ष स्वयं-घोषित विश्वविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में एक सार्वजनिक सूचना जारी करता है तथा फर्जी विश्वविद्यालयों/अमान्य संस्थानों की सूची को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से अद्यतन करता है। इस पहल का उद्देश्य छात्रों, अभिभावकों तथा अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना है तथा उन्हें ऐसे अनधिकृत संस्थानों में प्रवेश न लेने की सलाह देना है, क्योंकि ऐसा करने से उनका शैक्षणिक एवं व्यावसायिक भविष्य गंभीर रूप से प्रभावित हो सकता है।

चूँकि शैक्षणिक सत्र 2026-2027 के लिए प्रवेश प्रक्रिया वर्तमान में प्रगति पर है, यह देखा गया है कि विशेष रूप से विद्यालय स्तर पर बड़ी संख्या में छात्र अभी भी स्वयं-घोषित एवं अमान्य संस्थानों द्वारा किए जा रहे भ्रामक दावों का शिकार हो रहे हैं। इस संदर्भ में, प्रारंभिक स्तर पर जागरूकता एवं निवारक उपाय छात्रों के हितों की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है।

इस परिप्रेक्ष्य में, यूजीसी सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभागों से सहयोग की अपेक्षा करता है तथा आपसे अनुरोध करता है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षा बोर्डों एवं विद्यालयों को निम्नलिखित कार्यवाही करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें:

1. कक्षा X एवं XII के छात्रों तथा उनके अभिभावकों/संरक्षकों को फर्जी एवं अमान्य विश्वविद्यालयों से जुड़े आशंकाओं/जोखिमों के बारे में सूचित एवं परामर्शित किया जाए।
2. छात्रों को यह सलाह दी जाए कि वे उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) की मान्यता की स्थिति की जाँच यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ugc.gov.in पर जाकर, मुख्य मेन्यू में उपलब्ध "HEIs" टैब के माध्यम से करें।
3. यूजीसी की दिनांक 18 मार्च 2025 की सार्वजनिक सूचना को विद्यालयों के सूचना पट्ट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए तथा विद्यालयों की वेबसाइटों, परिपत्रों एवं अभिभावक-शिक्षक बैठकों के माध्यम से इसका व्यापक प्रसार किया जाए।

इस संबंध में, यूजीसी ने छात्रों को फर्जी विश्वविद्यालयों के जाल में फँसने से बचाने के उद्देश्य से एक लघु वीडियो भी तैयार किया है। जिसे निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है

https://drive.google.com/drive/folders/13_IbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive_link

आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी का व्यापक प्रसार सभी उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs), विद्यालय शिक्षा बोर्डों तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया जाए, ताकि छात्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जा सके।

सादर,

भवदीय

(मनिष जोशी)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष (Ph.): 011 23236288/23239337 | सम्पर्क सूत्र (इ-मेल) (E-mail) : secy.ugc@nic.in

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)

F. No. 7-3/2012(AMPC)

19 चैत्र, 1948/ 09th April, 2026

सार्वजनिक सूचना

It is hereby brought to the notice of students, parents and the general Public that degree can be awarded only by Universities/Institution which are established under a State Act, or Central Act or Provincial Act or institution, empowered to confer or grant degrees as per UGC Act, 1956.

However, it has come to the notice of UGC that a number of institutions are offering degrees in contrary to the provision of the UGC Act. Degrees awarded by such universities/institutions shall neither be recognized nor valid for higher education and employment purposes.

Hence, all concerned are requested to check the UGC website: www.ugc.ac.in for information about recognized universities/institutions as well as fake institutions before taking admission in any institution for higher education. Further, if any university/institution is offering academic programmes in contravention of the UGC Act, the same may also be brought to the notice of UGC via email to ugcampc@gmail.com so that appropriate action can be taken against such institutions.

For more information, please see the following link:

https://drive.google.com/drive/folders/13_IbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive_link

(मनिष जोशी)

बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
दूरभाष (Ph.): 011-23236288/23239337 | सम्पर्क सूत्र (ई-मेल) (E mail) : secy.ugc@nic.in

आचार्य मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)

मिसिल सं0 7-3/2012(ए.एम.पी.सी.) 19 चैत्र, 1948 / 9 अप्रैल 2026

सार्वजनिक सूचना

विद्यार्थियों, अभिभावकों और आम जनता को अवगत कराया जाता है कि डिग्री केवल उन्हीं विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की जा सकती है जो राज्य अधिनियम, या केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित हैं या ऐसी संस्था जो यूजीसी अधिनियम, 1956 के अनुसार डिग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत है।

हालांकि, यूजीसी के ध्यान में आया है कि कई संस्थान यूजीसी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत डिग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई डिग्री न तो मान्यता प्राप्त होगी और न ही उच्च शिक्षा और रोजगार के उद्देश्यों के लिए वैध होगी।

इसलिए, सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे उच्च शिक्षा के लिए किसी भी संस्थान में प्रवेश लेने से पहले मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के साथ-साथ फर्जी संस्थानों के बारे में जानकारी के लिए यूजीसी की वेबसाइट: www.ugc.ac.in देखें।

इसके अलावा, यदि कोई विश्वविद्यालय/संस्था यूजीसी अधिनियम के उल्लंघन में शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान कर रहा है, तो उसे ईमेल: ugcampc@gmail.com के माध्यम से यूजीसी के ध्यान में लायें ताकि ऐसे संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके। अधिक जानकारी के लिए निचे-दिए गए लिंक को देखें :

https://drive.google.com/drive/folders/13_IbOT7cyPPF6p4KLUqST2VE8sc8nbAp?usp=drive_link

(मनिष जोशी)

बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 | Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi 110002
दूरभाष (Ph.): 011 23236286, 23239337 सम्पर्क सूत्र ई-मेल (E-mail): secy.ugc@nic.in